गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति

प्रेमलता सिंह

शोध–छात्रा, नेहरु ग्राम भारती
(मानित् वि०वि०) प्रयागराज
ई० मेल– priya-singh-kashi@gmail-com

स्त्रियों की दशा वह मापक है जिसके द्वारा किसी समाज की वैज्ञानिकता एवं विकासशीलता के बारे मे ज्ञात किया जा सकता है। मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्तकाल तक के समय में, 'परिवार' सामाजिक–जीवन की इकाई ही नहीं, बल्कि समाज की आधारशिला था। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी अवस्था पारिवारिक संगठन के अन्तर्गत ही संचालित होती थी। माता–पिता, पति–पत्नी, भाई–बहन और पुत्र–पुत्री के संयोग से परिवार का निर्माण होता था। परिवार पुरूष प्रधान अवश्य था किन्तु परिवार की 'धुरी' नारी थीय वह गृह कार्यों में निपुण थी। उसे परिवार में पर्याप्त आदर प्राप्त था। वह परिवार के दायित्वों का सुचारु रूप से संचालन करती थी और अपनी क्षमता और योग्यता से परिवार की संस्था को स्थायी रूप देती थी किन्तु गुप्त काल में, स्त्रियों की दसा में उत्तरोत्तर गिरावट होने लगी।

स्त्रियों के विवाह की आयु कम कर देने से उनके लिए उच्च शिक्षा के द्वार बन्द हो गए थे। महिलाएँ वैदिक शिक्षा चाहे प्राप्त न कर पाती हों किन्तु ललित कलाओं में इनकी निपुणता के उल्लेख गुप्तकालीन साहित्य ग्रंथों में प्रचुरता से प्राप्त होते हैं।

इस काल में स्त्रियों की स्थिति में सामान्यतरू ह्रास हुआ तथा बाल विवाह का प्रचलन भी था। सामान्यतः १२–१३ वर्षों में लड़कियों की शादी होती थी। याज्ञवल्क्य स्मृति में लड़कियों के उपनयन एवं वेदाध्ययन का निषेध किया है। नारद एवं पराशर, विधवा विवाह का समर्हन करते हैं परन्तु वृहस्पति द्वारा इसका विरोध किया गया है। विष्णु, याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति विधवा को संपूर्ण संपत्ति की स्वामिनी मानते हैं, जबकि मनु, नारद और कात्यायन इसका विरोध करते हैं।

भानुगुप्त के एरण अभिलख से सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है जब गोपराज नामक सेनापति की पत्नी अपने पति के साथ सती हो जाती है। फाह्यान और ह्वेनसांग पर्दा प्रथा की चर्चा नहीं करते हैं परन्तु कालीदास द्वारा अभिज्ञानशाकुन्तलम् में अवगुठन (पर्दा) शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह होता है कि संभ्रात परिवार की महिलाएँ पर्दा करती थीं। देवदासी प्रथा प्रचलित थी। कालिदास के मेघदूत में महाकाल (उज्जैन) मंदिर में रखी जाने वाली देवदासियों की चर्चा है। परन्तु देवदासी प्रथा का प्रथम साक्ष्य अशोक के कुछ ही दिनों के बाद बनारस के पास रामगढ़ से प्राप्त एक गुफा अभिलेख में मिलता है। उस काल में वेश्याओं का भी अस्तित्व था। कामसूत्र में गणिकाओं के प्रशिक्षण की

बात की गई है। मुद्राराक्षस से यह ज्ञात होता है कि उत्सवों के समय वेश्याएँ सड़क पर आ जाती थीं।

गुप्त युग में कन्याओं का विवाह सामान्यतः १२–१३ वर्ष की अवस्था में होता था, अतः उनका उपनयन संस्कार बंद हो गया। याज्ञवल्क्य–स्मृति, कन्या के लिये उपनयन एवं वेदाध्ययन का निषेध करती है।

इस काल में पुरूष प्रधान परिवारों में पुत्री की अपेक्षा पुत्र का अधिक महत्वपपूर्ण स्थान था। पुत्री का महत्व कम हो गया था। पूर्ववर्ती कालों की भांति गुप्तकाल में भी केवल पुत्रियों को जन्म देने वाली स्त्री को निम्न दृष्टि से देखा जाता था।

मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्तकाल तक के समय में, 'परिवार' सामाजिक–जीवन की इकाई ही नहीं, बल्कि समाज की आधारशिला था। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी अवस्था पारिवारिक संगठन के अन्तर्गत ही संचालित होती थी। माता–पिता, पति–पत्नी, भाई–बहन और पुत्र–पुत्री के संयोग से परिवार का निर्माण होता था। परिवार पुरूष प्रधान अवश्य था किन्तु परिवार की 'धुरी' नारी थी वह गृह कार्यों में निपुण थी। उसे परिवार में पर्याप्त आदर प्राप्त था। वह परिवार के दायित्वों का सुचारु रूप से संचालन करती थी और अपनी क्षमता और योग्यता से परिवार की संस्था को स्थायी रूप देती थी।

समाज में अनेक बुराइयाँ आ गई थी, पहले कन्या एवं पुत्र के संस्कार समान थे किन्तु समय एवं सामाजिक कारणों से विधिवेताओं ने कन्या के लिए सभी संस्कार आवश्यक नहीं माने। उपनयन संस्कार तो समाप्त हो गया था जिससे कन्या शिक्षा की प्रथा को गहरा आधात लगा। कन्या ब्रह्मवादिनी नहीं हो सकती थी। वह केवल घर ग्रहस्थी के कार्यो में प्रशिक्षित की जाने लगी। वे नृत्य–संगीत, कताई–बुनाई का प्रषिक्षण प्राप्त करती थी।

कन्या रूप की प्रतीक थी। इसलिए उसे अनेक सामाजिक बन्धनों में रखा जाने लगा। पिता के न रहने पर भाई उसकी देखभाल करता था। विधवा की स्थिति समाज में बहुत अच्छी नहीं थी। उच्च वर्गों में राजपरिवारों में विधवाएँ स्वयं विवाह करना पसंद नहीं करती थी और धार्मिक जीवन व्यतीत करती थी। निम्न वर्ग में सामान्य रूप से पुनर्विवाह हो जाया करते थे। धर्म से गिरने वाली विधवा अनादर की पात्र थी किन्तु धर्म–युक्त विधवा सर्वत्र सम्मान पाती थी। गुप्तकालीन विधवा विवाह का एक उदाहरण ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त का विवाह है। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त की पत्नी थी और रामगुप्त की मृत्यु के पश्चात् उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त से विवाह किया था। यह विवाह असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। अतः कहा जा सकता है कि– गुप्तकालीन समाज में नारियों की स्थिति में पिछले युगों की अपेक्षा गिरावट आई।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

- पाण्डेय, डॉ. विमल चन्द्र (२००३) प्राचीन भारत का इतिहास २५० ई० से १२०० ई०, नई दिल्ली, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०
- शर्मा, राम शरण (२०१८) भारत का प्राचीन इतिहास, अनुवादक देवशंकर नवीन, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

- https://gkhindi.net/
- www.vivacepanorama.com/
- sg.inflibnet.ac.in
- www. Wikipedia. Org
- www.webduniya .com